न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/253/11	13.09.2011	09.08.2019

उनवान

1. किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. जनकसिंह पुत्र किशोर सिंह मृतक जर्ये वारिस
   1/1 नरेश सिंह पुत्र स्व0 जनकसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादी

2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री सियाराम गुर्जर एडवोकेट – वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जिसका 1/2 भाग वाद में विवादित है। विवादित आराजी का मिन वादी के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह काबिज खातेदार काश्तकार रहा एवं मौके पर काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे थे एवं उन्ही की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर मिन वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी के पिता छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल सं0 50 दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

17.06.1973 मृतक छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह के जायज व कानूनी जमींदा पुत्र वारिस वादी के पक्ष में सही प्रकार से तस्दीक हुआ है। पुष्टि के लिए जमाबन्दी सम्वत 2014 व इन्तकाल सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। उक्त आराजी का मिन वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी निश्चिन्त रहा कि मुताबिक इन्तकाल विरासत कायम जमाबन्दी आदि में वादी का नाम का सही इन्द्राजात हो गये होगे। मिन वादी को पूर्व में कभी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि की आवश्यकता नही हुई। असल प्रतिवादी जनकसिंह के पिता किशोर सिंह जो बलदेव सिंह का पुत्र है बेहद चालाक प्रवृति का शख्स रहा है वो राजस्व विभाग, सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारी से सांठगांठ रखता था मिन वादी के पिता छोटूसिंह भी सीधे–साधे आदमी है। मिन वादी ग्राम बलवण्डका का ही रहने वाला है असल प्रतिवादी जनकसिंह के पिता किशोर सिंह भी ग्राम बलवण्डका का ही रहने वाला था इसलिए वो वादी के परिचित रहा है। असल प्रतिवादी के पिता किशोर सिंह पुत्र बलदेवसिंह द्वारा वादी के भोलेपन का बेजा लाभ उठाकर मृतक छोटूसिंह का विरासत इन्तकाल जैसे कि वादी के नाम पर तस्दीक हुआ तो इसके बाद कायमशुदा जमाबन्दी आदि सम्वत 2027–2030 में राजस्व विभाग / सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारियान से मिल्लत कर खुद को मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह का वारिस बताते हुए बाले–2 वादी किशन सिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोर सिंह पुत्र छोटूसिंह दर्ज करा लिया। राजस्व विभाग / सैटलमेन्ट / कर्मचारी ने पूर्व राजस्व रिकार्ड / विरासत इन्तकाल की भी अनदेखी करके गलत इन्द्राज कर दिया गया। जो इन्द्राजात खिलाफ कानून, मौका, कब्जा, विधि विरूद्ध है। मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह के एकमात्र वारिस जायंदा पुत्र वादी ही है। किशोरसिंह नामक मृतक छोटूसिंह के कोई वारिस पुत्र नही है। किशोर सिंह बलदेव सिंह का पुत्र है। किशोर सिंह का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2027–2030 में गलत इन्द्राजात होने के पश्चात किशोर सिंह फौत हो गया। जिसका विरासत इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.1981 असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह द्वारा अपने नाम पर तस्दीक करा लिया। जो विरासत इन्तकाल खिलाफ मौका, कब्जा, वस्तुस्थिति के विपरीत, विधि विरूद्ध है जो वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल, बेअसर व शुन्य प्रभावी है। कथित विरासत इन्तकाल सं0 150 बहक असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह के नाम का इन्द्राजात विवादित आराजी की बाबत अमल दरामद चला आ रहा है। जो

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

तमाम इन्द्राजात खिलाफ मौका, कब्जा विधि विरूद्ध है। गलत इन्द्राजात कायम रहने से वादी के हकूक जायल होते है व नापूर्ति होने वाली क्षति होती है। न्यायहित में गलत इन्द्राजात काबिले दुरूस्ती है। राजस्व विभाग/ सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारियान को मुताबिक बहक वादी विरासत इन्तकाल सं0 50 दिनांक 17.06.1973 के अनुसार कायमशुदा जमाबन्दी ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी आदि में वादी के नाम का इन्द्राजात मौका, कब्जा, वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था लेकिन ऐसा नही किया गया। इसलिए यह दुरूस्ती का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री इस्तकरारहक बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी इस कदर सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड सम्वत 2027–30 जमाबन्दी में असल प्रतिवादी के पिता किशोर सिंह के नाम को कलमजन करते हुए कथित विरासत इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.81 मृतक किशोर सिंह वादी के हकूको के मुकाबले बातिल बेअसर शुन्य प्रभावी घोषित कर कथित विरासत इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.81 के आधार पर ताहाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी कागजातमाल आदि में दर्ज असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह पुत्र किशोर सिंह के नाम को कलमजन कर हटाते हुए सम्वत 2027–30 से ताहाल राजस्व रिकार्ड कागजातमाल आदि में वादी किशनसिंह पुत्र छोटूसिंह के नाम का इन्द्राज करते हुए वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गलत इन्द्राज की आड में रहन, बैय, हिब्बा के मुन्तकिल नही करे, कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने दावे के समर्थन में स्वयं वादी किशन सिंह ने हलफनामा पेश किया तथा भम्बरू खां पीडब्लू–1, बुद्धसिंह पीडब्लू–2 के हलफनामे पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 ईएक्स–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ईएक्स–2, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058 ईएक्स–3, मिसल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2030 ईएक्स–4, भू. प्रबन्ध विभाग खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2014 ईएक्स–5, जमाबन्दी सम्वत 2018–2022 ईएक्स–6, इन्तकाल सं0 50 दिनांक 17.06.73 ईएक्स–7, जमाबन्दी सम्वत 2027–30 ईएक्स–8, इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.1981 ईएक्स–9, जमाबन्दी सम्वत 2037 ईएक्स–10, जमाबन्दी सम्वत 2031–33 ईएक्स–11, जमाबन्दी सम्वत 2067–70 ईएक्स–12 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी का वादी के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह काबिज खातेदार काश्तकार रहा एवं मौके पर काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे थे एवं उन्ही की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल सं0 50 दिनांक 17.06.1973 मृतक छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह के जायज व कानूनी जायंदा पुत्र वारिस वादी के पक्ष में सही प्रकार से तस्दीक हुआ है। पुष्टि के लिए जमाबन्दी सम्वत 2014 व इन्तकाल संलग्न है। उक्त आराजी का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। असल प्रतिवादी के पिता किशोर सिंह पुत्र बलदेवसिंह द्वारा वादी के भोलेपन का बेजा लाभ उठाकर मृतक छोटूसिंह का विरासत इन्तकाल जैसे कि वादी के नाम पर तस्दीक हुआ तो इसके बाद कायमशुदा जमाबन्दी आदि सम्वत 2027–2030 में राजस्व विभाग / सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारियान से मिल्लत कर खुद को मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह का वारिस बताते हुए बाले–2 वादी किशन सिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोर सिंह पुत्र छोटूसिंह दर्ज करा लिया। जो इन्द्राजात खिलाफ कानून, मौका, कब्जा, विधि विरूद्ध है। मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह के एकमात्र वारिस जायंदा पुत्र वादी ही है। किशोरसिंह नामक मृतक छोटूसिंह के कोई वारिस पुत्र नही है। किशोर सिंह बलदेव सिंह का पुत्र है। किशोर सिंह का राजस्व रिकार्ड सम्वत 2027–2030 में गलत इन्द्राजात होने के पश्चात किशोर सिंह फौत हो गया। जिसका विरासत इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.1981 असल प्रतिवादी सं0 1

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

Scanned by CamScanner

जनकसिंह द्वारा अपने नाम पर तस्दीक करा लिया। जो विरासत इन्तकाल खिलाफ मौका, कब्जा, वस्तुस्थिति के विपरीत, विधि विरूद्ध है, कथित विरासत इन्तकाल सं0 150 बहक असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह के नाम का इन्द्राजात विवादित आराजी की बाबत अमल दरामद चला आ रहा है। जो तमाम इन्द्राजात खिलाफ मौका, कब्जा विधि विरूद्ध है। न्यायहित में गलत इन्द्राजात काबिले दुरूस्ती है। राजस्व विभाग/ सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारियान को मुताबिक बहक वादी विरासत इन्तकाल सं0 50 दिनांक 17.06.1973 के अनुसार कायमशुदा जमाबन्दी ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी आदि में वादी के नाम का इन्द्राजात मौका, कब्जा, वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था लेकिन ऐसा नही किया गया। अतः दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी का वादी के पिता छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह काबिज खातेदार काश्तकार रहा एवं मौके पर काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे थे एवं उन्ही की सहमति से उनके जीवनकाल से बदस्तूर वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर बतौर खातेदार काश्तकार कार्य काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह की मृत्यु होने पर उनका विरासत इन्तकाल सं0 50 दिनांक 17.06.1973 मृतक छोटू सिंह पुत्र छीतर सिंह के जायज व कानूनी जायंदा पुत्र वारिस वादी के पक्ष में तस्दीक हुआ है। पुष्टि के लिए जमाबन्दी सम्वत 2014 व इन्तकाल से बखूबी साबित है। उक्त आराजी का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। असल प्रतिवादी के पिता किशोर सिंह पुत्र बलदेवसिंह द्वारा वादी के भोलेपन का बेजा लाभ उठाकर मृतक छोटूसिंह का विरासत इन्तकाल वादी के नाम पर तस्दीक हुआ तो इसके बाद कायमशुदा जमाबन्दी आदि सम्वत 2027–2030 में राजस्व विभाग / सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी / कर्मचारियान से मिल्लत कर खुद को मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतर सिंह का वारिस बताते हुए बाले–2 वादी किशन सिंह के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम किशोर सिंह पुत्र छोटूसिंह दर्ज करा लिया। जो इन्द्राजात विधि विरूद्ध है। मृतक छोटूसिंह पुत्र छीतरसिंह के एकमात्र वारिस जायंदा पुत्र वादी ही है। किशोरसिंह नामक मृतक छोटूसिंह के कोई वारिस पुत्र नही है। किशोर सिंह बलदेव सिंह का पुत्र है। किशोर सिंह का राजस्व रिकार्ड

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

सम्वत 2027–2030 में गलत इन्द्राजात होने के पश्चात किशोर सिंह फौत हो गया। जिसका विरासत इन्तकाल सं0 150 दिनांक 14.05.1981 असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह द्वारा अपने नाम पर तस्दीक करा लिया। जो विरासत इन्तकाल विधि विरूद्ध है, कथित विरासत इन्तकाल सं0 150 बहक असल प्रतिवादी सं0 1 जनकसिंह के नाम का इन्द्राजात विवादित आराजी की बाबत अमल दरामद चला आ रहा है। जो तमाम इन्द्राजात विधि विरूद्ध है। गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी का नाम कलमजन कर 1/2 हिस्सा का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गलत इन्द्राज की आड में रहन, बैय, हिब्बा के मुन्तकिल नही करे, कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.08.19

महेश चन्द्र मीणा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/253/11	13.09.2011	09.08.2019

उनवान

1. किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. जनकसिंह पुत्र किशोर सिंह मृतक जर्ये वारिस
   1/1 नरेश सिंह पुत्र स्व0 जनकसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादी

2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री सियाराम गुर्जर एडवोकेट – वादी

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 0.01, 67 रकबा 0.27, 68 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 3 रकबा 0.54 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी का नाम कलमजन कर 1/2 हिस्सा का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि गलत इन्द्राज की आड में रहन, बैय, हिब्बा के मुन्तकिल नही करे, कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.08.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

09.08.19

महेश चन्द्र मान
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner